"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016—चैत्र 26, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिंधु महानंदे पति श्री राकेश कुमार महानंदे, उम्र 37 वर्ष, निवासी-ई. 17, जगन्नाथ मंदिर के पास, गायत्री नगर, शंकरनगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सिंधु बीचि महानंदे था जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सिंधु महानंदे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे सिंधु महानंदे पति श्री राकेश कुमार महानंदे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सिंधु बीचि महानंदे
(Sindhu Beechi Mahanande)
पति श्री राकेश कुमार महानंदे
निवासी-ई. 17, जगन्नाथ मंदिर के पास,
गायत्री नगर, शंकरनगर रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

सिंधु महानंदे
(Sindhu Mahanande)
पति श्री राकेश कुमार महानंदे
निवासी-ई. 17, जगन्नाथ मंदिर के पास,
गायत्री नगर, शंकरनगर रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनयना कांकड़े (Sunayna Kankre) पति श्री रोशन लाल कांकड़े आयु 54 वर्ष, निवासी– ब्लॉक नं.–17 बी., सड़क नं. 10, सेक्टर 3, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री रोशन लाल कांकड़े के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सुनैना बाई दर्ज हो गया है तथा मेरी जन्मतिथि त्रुटिवश 01–01–1961 दर्ज हो गया है जबकि मेरी सही जन्मतिथि 28–07–1961 है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुनयना कांकड़े रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सुनयना कांकड़े पति श्री रोशन लाल कांकड़े के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुनैना बाई (Sunaina Bai) पति श्री रोशन लाल कांकड़े निवासी– ब्लॉक नं.–17 बी., सड़क नं. 10, सेक्टर 3, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती सुनयना कांकड़े (Sunayna Kankre) पति श्री रोशन लाल कांकड़े निवासी– ब्लॉक नं.–17 बी., सड़क नं. 10, सेक्टर 3, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इन्द्रमन सिंह राणा (Indraman Singh Rana) पिता स्व. बलीराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी– क्वा. नं. 8/एफ, स्ट्रीट नं.–82, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 1987 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी मार्कशीट नं. 3842231 रोल नं. 762256 में मेरा नाम Inderman Singh S/o Shri Baliram दर्ज है तथा यही नाम मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है जिसमें स्पेलिंग त्रुटि है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम इन्द्रमन सिंह राणा (Indraman Singh Rana) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे इन्द्रमन सिंह राणा पिता स्व. बलीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
इन्द्रमन सिंह (Inderman Singh) पिता स्व. बलीराम निवासी– क्वा. नं. 8/एफ, स्ट्रीट नं.–82, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	इन्द्रमन सिंह राणा (Indraman Singh Rana) पिता स्व. बलीराम निवासी– क्वा. नं. 8/एफ, स्ट्रीट नं.–82, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इन्द्रमन सिंह राणा पिता स्व. बलीराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 8/एफ, स्ट्रीट नं.-82, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी विभागीय दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम उमा देवी दर्ज हो गया है. मैं अपनी पत्नी उमा देवी के नाम के साथ उपनाम "राणा" जोड़कर नया नाम श्रीमती उमा देवी राणा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को श्रीमती उमा देवी राणा पति श्री इन्द्रमन सिंह राणा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती उमा देवी पति श्री इन्द्रमन सिंह राणा निवासी- क्वा. नं. 8/एफ, स्ट्रीट नं.-82, सेक्टर 6, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती उमा देवी राणा पति श्री इन्द्रमन सिंह राणा निवासी- क्वा. नं. 8/एफ, स्ट्रीट नं.-82, सेक्टर 6, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधिका रमन मिश्रा आत्मज स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा, उम्र 58 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 1022/10, इस्पात नगर वार्ड नं. 63, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम राधिका रमन मिश्रा आत्मज स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा दर्ज है परन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवश राधिका रमन आ. स्व. जगदीश प्रसाद दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "मिश्रा" जोड़कर नया नाम राधिका रमन मिश्रा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राधिका रमन मिश्रा आत्मज स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राधिका रमन आत्मज-स्व. जगदीश प्रसाद निवासी- प्लाट नं. 1022/10, इस्पात नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	राधिका रमन मिश्रा आत्मज-स्व. जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी- प्लाट नं. 1022/10, इस्पात नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेन्द्र सिंह राना पिता श्री जयसिंह राना, निवासी-क्वा. नं.-41, आर. ई. एस. कालोनी, बीजापुर, पो. आ. बीजापुर, तहसील व जिला बीजापुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम शैलेन्द्र सिंह नाग था तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता था तथा मैं जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर में पदस्थ हूं. मैं अपने उपनाम "नाग" को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम शैलेन्द्र सिंह राना रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शैलेन्द्र सिंह राना पिता श्री जयसिंह राना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शैलेन्द्र सिंह नाग
पिता श्री जय सिंह नाग
निवासी- क्वा. नं.-41, आर. ई. एस. कालोनी, बीजापुर,
पो. आ. बीजापुर, तहसील व जिला बीजापुर (छ. ग.)

नया नाम

शैलेन्द्र सिंह राना
पिता श्री जय सिंह राना
निवासी- क्वा. नं.-41, आर. ई. एस. कालोनी, बीजापुर,
पो. आ. बीजापुर, तहसील व जिला बीजापुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार तिवारी (Santosh Kumar Tiwari) आत्मज श्री बी. पी. तिवारी, उम्र 49 वर्ष, निवासी- 21 (हरिओम) प्लाट नं. 80, राम नगर (नेताजी सुभाष रोड) वार्ड नं. 9, हनुमान मंदिर के पास, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम संतोष कुमार दर्ज है तथा यही नाम मेरे बी. एस. पी. के गेटपास में अंकित है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "तिवारी" जोड़कर नया नाम संतोष कुमार तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संतोष कुमार तिवारी आ. बी. पी. तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

संतोष कुमार (Santosh Kumar)
आत्मज- श्री बी. पी. तिवारी
निवासी- 21 (हरिओम) प्लाट नं. 80,
राम नगर, नेताजी सुभाष रोड,
हनुमान मंदिर के पास, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

संतोष कुमार तिवारी (Santosh Kumar Tiwari)
आत्मज- श्री बी. पी. तिवारी
निवासी- 21 (हरिओम) प्लाट नं. 80,
राम नगर, नेताजी सुभाष रोड,
हनुमान मंदिर के पास, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1224.—श्रीनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी पंजीयन क्रमांक 10 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 391 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्रीनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी पंजीयन क्रमांक 10 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. राणा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को श्रीनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी पंजीयन क्रमांक 10 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1225.—मां दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. परसवारा पंजीयन क्रमांक 11 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 403 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मां दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. परसवारा पंजीयन क्रमांक 11 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. राणा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मां दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. परसवारा पंजीयन क्रमांक 11 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1226.—मां गौरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पिपरिया पंजीयन क्रमांक 12 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 405 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मां गौरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पिपरिया पंजीयन क्रमांक 12 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीलम जोगी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को मां गौरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पिपरिया पंजीयन क्रमांक 12 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1227.—भोलेशंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लघान (पिपरिया) पंजीयन क्रमांक 13 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 394 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोलेशंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लघान (पिपरिया) पंजीयन क्रमांक 13 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एस. के. श्रीवास उप अंकेक्षक को भोलेशंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लघान (पिपरिया) पंजीयन क्रमांक 13 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1228.—गंगा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रेंगाखार खुर्द पंजीयन क्रमांक 14 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 398 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गंगा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रेंगाखार खुर्द पंजीयन क्रमांक 14 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. एच. अंगोले वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को गंगा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रेंगाखार खुर्द पंजीयन क्रमांक 14 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1229.—तरणतारिणी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जोराताल पंजीयन क्रमांक 15 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 388 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तरणतारिणी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जोराताल पंजीयन क्रमांक 15 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ए. के. शर्मा को तरणतारिणी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जोराताल पंजीयन क्रमांक 15 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1230.—मिनीमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कवर्धा पंजीयन क्रमांक 16 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 396 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मिनीमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कवर्धा पंजीयन क्रमांक 16 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. एच. अंगोले वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मिनीमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कवर्धा पंजीयन क्रमांक 16 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1231.—सतगुरू दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खुंटू पंजीयन क्रमांक 21 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 406 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सतगुरू दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खुंटू पंजीयन क्रमांक 21 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. एच. अंगोले वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को सतगुरू दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खुंटू पंजीयन क्रमांक 21 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1232.—राधाकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सैगोना पंजीयन क्रमांक 22 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 408 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राधाकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सैगोना पंजीयन क्रमांक 22 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. एच. अंगोले वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को राधाकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सैगोना पंजीयन क्रमांक 22 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1233.—माँ मानेश्वरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चचेड़ी पंजीयन क्रमांक 24 विकास खण्ड स. लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 404 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मॉ मानेश्वरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चचेड़ी पंजीयन क्रमांक 24 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ए. के. शर्मा उप अंकेक्षक को मॉ मानेश्वरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चचेड़ी पंजीयन क्रमांक 24 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1234.—गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. नयापारा (पालीगुढ़ा) पंजीयन क्रमांक 26 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 392 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. नयापारा (पालीगुढ़ा) पंजीयन क्रमांक 26 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. राणा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. नयापारा (पालीगुढ़ा) पंजीयन क्रमांक 26 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1235.—जलेश्वर महादेव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खरहट्टा पंजीयन क्रमांक 17 विकास खण्ड बोडला, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 411 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जलेश्वर महादेव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खरहट्टा पंजीयन क्रमांक 17 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. सी. देवांगन सहकारी निरीक्षक को जलेश्वर महादेव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खरहट्टा पंजीयन क्रमांक 17 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1236.—प्रातापपुरहीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जंगलपुर पंजीयन क्रमांक 18 विकास खण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 407 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रातापपुरहीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जंगलपुर पंजीयन क्रमांक 18 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रातापपुरहीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जंगलपुर पंजीयन क्रमांक 18 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1237.—सत्यम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अंधियारखोर पंजीयन क्रमांक 23 विकास खण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 401 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सत्यम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अंधियारखोर पंजीयन क्रमांक 23 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को सत्यम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अंधियाखोर पंजीयन क्रमांक 23 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1238.—माता अंगारमोती दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. प्रतापपुर पंजीयन क्रमांक 25 विकास खण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 395 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माता अंगारमोती दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. प्रतापपुर पंजीयन क्रमांक 25 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को माता अंगारमोती दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. प्रतापपुर पंजीयन क्रमांक 25 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1239.—ज्ञानगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मगरदा पंजीयन क्रमांक 05 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 410 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ज्ञानगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मगरदा पंजीयन क्रमांक 05 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एस. के. श्रीवास उप अंकेक्षक को ज्ञानगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मगरदा पंजीयन क्रमांक 05 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1240.—जय सतनाम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. दूरलापुर पंजीयन क्रमांक 44 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 398 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जय सतनाम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. दूरलापुर पंजीयन क्रमांक 44 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. जोशी उप अंकेक्षक को जय सतनाम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. दूरलापुर पंजीयन क्रमांक 44 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1241.—बाबा गुरूघासीदास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रघ्घुपरा पंजीयन क्रमांक 46 विकास खण्ड बोडला, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 402 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बाबा गुरुघासीदास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रघ्घुपरा पंजीयन क्रमांक 46 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. सी. देवांगन सहकारी निरीक्षक को बाबा गुरूघासीदास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रघ्घुपरा पंजीयन क्रमांक 46 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1242.—दुधगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मोहतरा पंजीयन क्रमांक 20 विकास खण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 398 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दुधगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मोहतरा पंजीयन क्रमांक 20 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को दुधगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मोहतरा पंजीयन क्रमांक 20 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.